

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:—प.11(5)नविवि / ऋषभदेव(उदयपुर) / 2024

जयपुर, दिनांक:

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन 1959) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर को ऋषभदेव (जिला—उदयपुर) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित है, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं क्षितिज वर्ष—2043 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है।

क्रम संख्या	राजस्व ग्राम का नाम
1.	धूलेव
2.	रायणा
3.	भाऊवा
4.	मण्डवाफलाकागदार
5.	बोबला फला
6.	बिलखाई
7.	गडावत
8.	थाणा

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सीमा शर्मा— I)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, उदयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम), राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, ऋषभदेव(जिला—उदयपुर)।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
5889270

शासन उप सचिव